एफसीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस लिमिटेड,

बनाम

एलए मेडिकल डिवाइसेज लिमिटेड एवं अन्य.

(सिविल अपील संख्या **4271/2008)**

9 जुलाई **2008**

[सी.के. ठक्कर और डी.के. जैन, जे.जे.**]**

कंपनी लॉ**:**

परिसमापन - परिसमाप्त कंपनी की संपत्तियों की बिक्री - निविदा सूचना - अपीलकर्ता की बोली रु। 1.47 करोड़ का मूल्य उच्चतम था और स्वीकार किया गया - इस बीच अधिक राशि की बोलियां प्राप्त हुईं। अन्य बोलीदाताओं के आवेदन पर कंपनी न्यायाधीश ने आरक्षित मूल्य 2.10 करोड़ रुपये तय करते हुए संपति की फिर से बिक्री का आदेश दिया . अपीलकर्ता को अपनी बोली बढ़ाने का अवसर दिया गया . अपीलकर्ता ने कहा। 1.47 करोड़ रुपये में संपत्ति प्राप्त करने में सहायता की स्वीकृति प्रतिवादी संख्या 3 की 3.5 करोड़ रुपये की बोली। विरुद्ध चुनौती।

माना गया पहले के टेंडर नोटिस में चल और अचल संपत्ति का मूल्यांकन नहीं बताया गया था] उसमें आरक्षित मूल्य तय नहीं किया गया

था] और संयंत्र और मशीनरी की सूची उपलब्ध नहीं कराई गई थी। इन तथ्यों पर विचार करने पर कंपनी जज ने नये सिरे से नीलामी का आदेश दिया. इसमें कोई अवैधता नहीं है। आदेश ऐसे मामलों में कंपनी न्यायाधीश का दृष्टिकोण उच्चतम मूल्य प्राप्त करना है ताकि परिसमापन में कंपनी के खिलाफ अधिकतम दावों को पूरा किया जा सके . हालाँकि चूंकि अपीलकर्ता के पास था जब उनका ऑफर स्वीकार किया गया तो उन्होंने तुरंत रकम जमा कर दी न्याय के हित में प्रतिवादी क्रमांक 3 को निर्देशित किया जाता है अपीलकर्ता को 30 लाख रुपये का भुगतान करना होगा जो कि सहायता के रूप में काम करेगा।

प्रतिवादी नंबर 1 कंपनी परिसमापन में चली गई और इसकी संपत्तियों की बिक्री के लिए कार्यवाही शुरू की गई। इसके बाद कंपनी कोर्ट द्वारा निविदाएं आमंत्रित करने के लिए नोटिस जारी किया गया था। बारह बोलियाँ प्राप्त हुईं जिनमें से अपीलकर्ता की 1.47 करोड़ रुपये की बोली सबसे अधिक थी। अपीलकर्ता ने आधिकारिक परिसमापक अनुरोध को एक पत्र लिखा. उसे अपीलकर्ता के प्रस्ताव की स्वीकृति का पत्र जारी करने और उत्पादन शुरू करने के लिए यूनिट का कब्ज़ा देने के लिए कहा गया है। तथापि कोई उत्तर नहीं मिला इसके बाद अपीलकर्ता ने कंपनी न्यायाधीश को एक पत्र लिखकर शिकायत की कि यद्यपि यह आधिकारिक वकील का कर्तव्य था यूआईडेटर को अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत उच्चतम प्रस्ताव को

स्वीकार करना होगा आधिकारिक परिसमापक द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी और अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में देरी हुई थी बोली की स्वीकृति 15 फरवरी 2005 को आधिकारिक लिक्विडेटर ने अपीलकर्ता की बोली रुपये में स्वीकार कर ली। 1.47 करोड़ और अपीलकर्ता को पंद्रह दिनों के भीतर बोली राशि का 25 प्रतिशत जमा करने का भी निर्देश दिया। अपीलकर्ता उक्त राशि उसी दिन यानी 15 फरवरी 2005 को जमा कर दी गई।

आधिकारिक परिसमापक ने 4 अप्रेल 2005 को अपने पत्र द्वारा अपीलकर्ता को सूचित किया कि कंपनी न्यायाधीश द्वारा अपीलकर्ता के पक्ष में एक आदेश पारित किया गया था और अपीलकर्ता को शेष राशि तुरंत जमा करने के लिए कहा गया था। अपीलकर्ता ने शेष राशि 12 अप्रेल 2005 को जमा कर दी। 21 अप्रेल 2005 को एक संचार द्वारा आधिकारिक परिसमापक ने अपीलकर्ता को सूचित किया कि संपत्ति का कब्ज़ा 6 मई 2005 को अपीलकर्ता को सौंप दिया जाएगा।

6 मई 2005 को हालांकि अपीलकर्ता के अधिकारी संपत्ति पर कब्ज़ा पाने के लिए साइट पर इंतजार कर रहे थे संपत्ति का कब्ज़ा सौंपने के लिए न तो आधिकारिक परिसमापक और न ही उसका प्रतिनिधि आया। इसलिए अपीलकर्ता कंपनी ने आधिकारिक परिसमापक को एक टेलीग्राफिक नोटिस भेजा और उनसे कंपनी न्यायाधीश के आदेश का तुरंत पालन करने का अनुरोध किया। के बजाय न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए और

संपत्ति का कब्जा सौंपते हुए आधिकारिक परिसमापक ने 5 मई 2005 को कथित तौर पर लिखा गया एक पत्र भेजा जिसमें कहा गया था कि 6 मई 2005 को अपीलकर्ता को कब्जा नहीं दिया जाएगा। 1.55 करोड़ रुपये की ऊंची बोली प्राप्त हुई और अपीलकर्ता को कब्ज़ा सौंपने के आदेश पर अदालत ने रोक लगा दी थी। अपीलकर्ता ने पाया कि यह स्वयं आधिकारिक परिसमापक के कहने पर था कि अपीलकर्ता को संपत्ति के कब्जे की डिलीवरी पर रोक लगाने के लिए कंपनी न्यायाधीश के समक्ष कंपनी का आवेदन दायर किया गया था।

अपीलकर्ता ने यह कहते हुए कंपनी आवेदन दायर किया कि उसने पूरी राशि का भुगतान कर दिया है बिक्री की पुष्टि हो गई है और कंपनी न्यायाधीश के आदेश के बावजूद अपीलकर्ता को कब्ज़ा नहीं सौंपा गया है। अपीलकर्ता को संपत्ति का कब्ज़ा सौंपने के लिए आधिकारिक परिसमापक को निर्देश देने की प्रार्थना की गई थी। इस बीच आधिकारिक परिसमापक को 2.10 करोड़ रुपये के प्रस्ताव सहित अन्य प्रस्ताव भी प्राप्त हुए। कंपनी न्यायाधीश ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए 16 फरवरी 2006 को अपने आदेश द्वारा आरक्षित मूल्य 2.10 करोड़ रुपये तय करते हुए नया विज्ञापन जारी करके संपत्ति की पुनः बिक्री का निर्देश दिया। इसके अनुसरण में विज्ञापन जारी किया गया था। आधिकारिक परिसमापक को प्रस्ताव प्राप्त हुए। प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा 3.5 करोड़ रुपये की उच्चतम

पेशकश स्वीकार कर ली गई। अपीलकर्ता ने अपील दायर की जिसे उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया] इसलिए वर्तमान अपील।

न्यायालय ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए

अभिनिर्धारित 1. उच्च न्यायालय द्वारा पारीत आदेश के विरुद्व अपीलांट का मामला बनना नहीं पाया गया। यद्यपि नवंबर 2004 में अपीलकर्ता की बोली सबसे ऊंची थी और आधिकारिक परिसमापक द्वारा स्वीकार कर लिया गया था लेकिन कुछ तथ्य जिन्हें ध्यान में लाया जाना आवश्यक था इच्छुक खरीददारों की संख्या बिक्री की घोषणा में निर्धारित नहीं की गई थी और न ही बिक्री नोटिस के समय इसका खुलासा किया गया था। वे चल और अचल संपत्तियों के मूल्यांकन आरक्षित मूल्य के निर्धारण संयंत्र और मशीनरी की गैर.सूची आदि से संबंधित थे। अन्य बोलीदाताओं द्वारा कंपनी आवेदन दाखिल करके कंपनी न्यायाधीश का ध्यान आकर्षित किया गया था। कंपनी न्यायाधीश ने आपत्तियों पर विचार किया और प्रथम दृष्टया संतुष्ट होने पर नये सिरे से नीलामी का आदेश दिया। उक्त दृष्टिकोण में कोई अवैधता नहीं थी। जब नई बोलियां प्राप्त हुईं तो पता चला कि उच्चतम प्रस्ताव प्रतिवादी नंबर 3- सोसायटी का था जो 3-5 करोड़ रुपये का था। कंपनी न्यायाधीश ने अपीलकर्ता को अपनी बोली बढ़ाने का अवसर दिया। जाहिर तौर पर अपीलकर्ता इस आधार पर संपत्ति 1-47 करोड़ रुपये में हासिल करने पर अड़ा था कि प्रस्ताव उच्चतम था और

उसके बाद आधिकारिक परिसमापक और कंपनी न्यायाधीश द्वारा की गई सभी कार्यवाही पूरी तरह से अवैध और गैरकानूनी थी। उत्तरदाता सही हैं यह कहते हुए कि ऐसे मामलों में कंपनी न्यायाधीश का दृष्टिकोण उच्चतम मूल्य प्राप्त करने का होना चाहिए ताकि परिसमापन में कंपनी के खिलाफ अधिकतम दावों को पूरा किया जा सके। इसलिए कंपनी जज द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को अवैध नहीं कहा जा सकता। [Pal a 21] [490-E,F,G & H; 491-A & B]

Gajraj Jain v. State of Bihar & Ors., (2004) 7 SCC 151 — relied on.

M/s Navalkha & Sons v. Sri Ramanya Das & Ors.(1969) 3 SCC 337; *Kayjay Industries(P) Ltd. v. M/s Asnew Drums (P) Ltd. & Ors.,* (1974) 2 SCC 213; *Union Bank of India v. Official Liquidator, High Coua of Calcutta & Ors.,* (2000) 5 SCC 274; *Divya Manufacturing Company (P) Ltd. v.Union Bank of India & Ors.,* (2000) 6 SCC 69; *LICA (P) Ltd. (1) v. Official Liquidator* (1996) 85 Comp Cas 788 SC; *LICA (P) Ltd. (2) v. Official Liquidator* (1996) 5 Comp Cas 792 (SC) - referred to.

2- प्रतिवादी क्रमांक 3 का भी निवेदन था यह अच्छी तरह से स्थापित है कि जब 3-5 करोड़ रुपये की इसकी उच्चतम बोली स्वीकार की

गई तो अपीलकर्ता को अवसर प्रदान किया गया। हालाँकि इसने ऐसे अवसर का लाभ नहीं उठाया। प्रतिवादी संख्या 3 भी बाद की घटनाओं के संदर्भ में सही था नई नीलामी के बाद बिक्री विलेख निष्पादित किया गया था कब्जा प्रतिवादी नंबर 3 को सौंप दिया गया था इसमें खर्च हुआ था। यदि इस स्तर पर बिक्री को रद्द कर दिया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 3 समाज पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हालाँकि तथ्यों से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता की बोली नवंबर 2004 में स्वीकार कर ली गई थी। उसने तुरंत 25 प्रतिशत राशि जमा कर दी थी। अपीलकर्ता ने 12&13 अप्रैल 2005 को शेष 75 प्रतिशत राशि भी जमा कर दी। इसलिए यह उचित होगा। यदि प्रतिवादी संख्या 3 को अपीलकर्ता को 30 लाख रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है जो उसके उद्देश्यों को पूरा करेगा। न्याय। 30 लाख रुपये का भुगतान खरीदार को उसकी परेशानी और नुकसान की निराशा से राहत दिलाने के रूप में काम करेगा। जो शायद एक अच्छा सौदा हैA

चुंदी चरण बनाम बांके बिहारी (1899) आईएलआर 26 कैल 449 (एफबी) पुष्टि.

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 4217 2008 का

कंपनी में चंडीगढ़ स्थित पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक 15.10.2007 के निर्णय और आदेश से 2006 की अपील संख्या 10.

डॉ ए.एम. सिंघवी, एस.के. दुबे, सुनील शर्मा और के.वी. मोहन अपीलकर्ता के लिए।

प्रतिवादियों की ओर से रंजीत कुमार, राजेंद्र सिंघवी, मधुर ददलानी, मैत्रेयी सिंघवी, बृज भूषण, अरुण कठपालिया, राकेश कुमार और शिप्रा घोष।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

सी.के.ठक्कर, जे 1. छुट्टी स्वीकृत।

2. वर्तमान अपील अपीलकर्ता द्वारा डिवीजन बेंच हाईकोर्ट पंजाब एवं हरियाणा द्वारा पारीत आदेश दिनांक 15 अक्टूबर 2007 के विरुद्व की गई है जो अपील संख्या कंपनी अपील संख्या 10 वर्ष 2006 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा पारित किया गया। उक्त आदेश द्वारा हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। और कंपनी न्यायाधीश द्वारा 16 फरवरी 2006 को कंपनी आवेदन संख्या 178/2005 में कंपनी याचिका संख्या 42/1999 में पारित आदेश की पुष्टि की।

3. मामले के कुछ तथ्य यह हैं कि एलए मेडिकल डिवाइसेज लिमिटेड. प्रतिवादी संख्या 1 परिसमापन में चला गया, न्यायालय द्वारा आधिकारिक परिसमापक नियुक्त किया गया था जो वर्तमान कार्यवाही में

प्रतिवादी नंबर 1 के रूप में शामिल हुआ है। कंपनी के परिसमापन और उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली बकाया राशि को ध्यान में रखते हुए, कंपनी की संपत्ति की बिक्री के लिए कार्यवाही शुरू की गई थी। कंपनी न्यायालय द्वारा 19 अक्टूबर 2004 को बिक्री नोटिस जारी किया गया था, जिसे विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया थाए जिसमें नोएडा (यूपी) में स्थित कंपनी की संपत्ति की बिक्री के लिए सीलबंद निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। बारह बोलियाँ प्राप्त हुईं जो 16 नवंबर 2004 को खोली गईं। अचल और चल संपत्ति के लिए अपीलकर्ता की 1.47 करोड़ रुपये की बोली सबसे अधिक थी। लेनदारों में से एक अर्थात् प्रादेशिक औद्योगिक और निवेश निगम (यु.पी.) लिमिटेड (पीआईसीयूपीद) ने बिक्री मूल्य पर कोई आपत्ति नहीं दी। चूंकि अपीलकर्ता सबसे ऊंची बोली लगाने वाला था, इसलिए उसने 19 दिसंबर, 2004 को आधिकारिक परिसमापक को एक पत्र लिखा और उसके बाद 20 जनवरी, 2005 को एक अनुस्मारक भेजकर प्रक्रिया में तेजी लाने और अपीलकर्ता के प्रस्ताव की स्वीकृति का पत्र जारी करने का अनुरोध किया। यूनिट का कब्ज़ा अपीलकर्ता को दिया जा सकता है और संपत्ति को उत्पादन शुरू करने के लिए तैयार किया जा सकता है। अपीलकर्ता का मामला यह है कि आधिकारिक परिसमापक द्वारा अपीलकर्ता को कोई उत्तर नहीं दिया गया। इसलिए अपीलकर्ता 27 जनवरी 2005 को कंपनी जज को पत्र लिखा, यह स्पष्ट करते हुए कि यद्यपि अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत उच्चतम प्रस्ताव को स्वीकार करना आधिकारिक

परिसमापक का कर्तव्य थाए फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई A आधिकारिक परिसमापक द्वारा लिया गया था और बोली की स्वीकृति को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में देरी हुई थी। अपीलकर्ता ने आधिकारिक परिसमापक द्वारा दी गई धमकी के बारे में भी शिकायत की। अपीलकर्ता के अनुसारए इसके बाद 15 फरवरी, 2005 को आधिकारिक परिसमापक ने इसकी बोली स्वीकार कर ली। रुपये के लिए अपीलकर्ता अचल संपत्ति के लिए 1.47 करोड़। अपीलकर्ता ने स्वयं ही पट्टे पर दी गई मशीनरी का दावा छोड़ दिया था। आधिकारिक परिसमापक ने अपीलकर्ता को पंद्रह दिनों के भीतर अचल संपत्ति की बोली राशि का 25 प्रतिशत जमा करने का भी निर्देश दिया। हालाँकि अपीलकर्ता ने उक्त राशि उसी दिन यानी 15 फरवरी, 2005 को जमा कर दी। अपीलकर्ता के अनुसार कंपनी न्यायाधीश ने नीलामी को कानून के अनुसार और पर्याप्त कीमत पर पाया और कोई अन्य उद्देश्य नहीं था. 24 मार्च 2005 को अपीलकर्ता कम्पनी के पक्ष में नीलामी बिक्री की पुष्टि कीA कंपनी जज ने भी निर्देशित किया आधिकारिक परिसमापक को एक महीने के भीतर पूर्ण और अंतिम भुगतान प्राप्त करने के बाद अपीलकर्ता के पक्ष में बिक्री विलेख निष्पादित करके यूनिट का कब्ज़ा सौंपना होगा। अधिकारिक परिसमापक ने 4 अप्रैल, 2005 को अपने पत्र द्वारा अपीलकर्ता को बताया कि कंपनी न्यायाधीश द्वारा अपीलकर्ता के पक्ष में एक आदेश पारित किया गया था। अपीलार्थी को शेष राशि भी तत्काल जमा करने को कहा गया। 4 अप्रैल 2005 का पत्र प्राप्त होने पर

आधिकारिक परिसमापक से अपीलकर्ता ने 12 अप्रैल, 2005 को शेष राशि जमा कर दी। इसके बाद अपीलकर्ता कंपनी की अचल संपत्ति के संबंध में बिक्री विलेख का कब्जा और निष्पादन प्राप्त करने का हकदार बन गया। 21 अप्रैल, 2005 को एक संचार द्वारा आधिकारिक परिसमापक ने अपीलकर्ता को सूचित किया कि संपत्ति का कब्ज़ा 6 मई, 2005 को सुबह 11.30 बजे अपीलकर्ता को सौंप दिया जाएगा।

4. अपीलकर्ता के अनुसार इसके बाद आधिकारिक परिसमापक ने कानूनी और कानून के अनुसार कार्य नहीं किया। 6 मई 2005 को हालांकि अपीलकर्ता के अधिकारी संपत्ति पर कब्ज़ा पाने के लिए साइट पर इंतजार कर रहे थे लेकिन न तो आधिकारिक परिसमापक और न ही उसका प्रतिनिधि अपीलकर्ता को संपत्ति का कब्ज़ा सौंपने के लिए आया। अपीलकर्ता कंपनी ने इसलिए आधिकारिक परिसमापक को एक टेलीग्राफिक नोटिस भेजा और उनसे बिक्री की पुष्टि करने और अपीलकर्ता को कब्ज़ा सौंपने के कंपनी न्यायाधीश के आदेश का तुरंत पालन करने का अनुरोध किया। कोर्ट के आदेश का पालन करने और संपत्ति का कब्जा सौंपने के बजायए आधिकारिक परिसमापक ने एक पत्र भेजा कथित तौर पर यह पत्र 5 मई 2005 को लिखा गया थाए जिसमें कहा गया था कि अपीलकर्ता को कब्ज़ा नहीं दिया जाएगा। 06 मई, 2005 को 1.55 करोड़ रुपये की ऊंची बोली प्राप्त हुई थी और अपीलकर्ता को कब्ज़ा सौंपने के आदेश पर माननीय

न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई थी। अपीलकर्ता ने पूछताछ की और यह पाया गया कि यह स्वयं आधिकारिक परिसमापक के कहने पर कंपनी न्यायाधीश के समक्ष 2005 का कंपनी आवेदन संख्या 178 पेश किया गया था और उसने कथित आधार पर अपीलकर्ता को संपत्ति का कब्जा देने में बाधा उत्पन्न की थी। कि उन्हें इससे भी ऊंचा ऑफर मिला है अपीलकर्ता ने कहा कि अन्य दो व्यक्तियों ने भी अधिक राशि की पेशकश की। इन परिस्थितियों में अपीलकर्ता ने कंपनी आवेदन दाखिल किया। कंपनी न्यायालय नियम 1959 के नियम 9 के तहत 2005 का 407 नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 151 के साथ पढ़ा गया जिसमें कहा गया था कि उसने पूरी राशि का भुगतान कर दिया था, बिक्री की पुष्टि की गई थी और कंपनी न्यायाधीश के आदेश के बावजूद कब्ज़ा कर लिया गया था। अपीलकर्ता को नहीं सौंपा गया था। अपीलकर्ता को संपत्ति का कब्ज़ा सौंपने के लिए आधिकारिक परिसमापक को निर्देश देने की प्रार्थना की गई थी। इस बीच अन्य ऑफर भी मिले। आधिकारिक परिसमापक किसी सतीश चौधरी ने 2.10 करोड़ रुपये की रकम की पेशकश की, सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विद्वान कंपनी न्यायाधीश ने 16 फरवरी, 2006 को अपने आदेश में आदेश में उल्लिखित समाचार पत्रों में नए सिरे से विज्ञापन जारी करके संपत्ति के पुनर्विक्रय का निर्देश दिया। यह भी देखा गया कि आरक्षित मूल्य 2.10 करोड़ रुपये तय किया जाएगा। निविदाएं आधिकारिक परिसमापक के कार्यालय में 22 मार्च 2006 तक पहुंच जानी चाहिए और

दोपहर 1.45 बजे न्यायालय में खोली जाएंगी। 23 मार्च 2006 को और उस समय परस्पर बोली की अनुमति दी जाएगी।

5. उपरोक्त निर्देश के अनुसरण में विज्ञापन जारी किया गया। आधिकारिक परिसमापक को प्रस्ताव प्राप्त हुए। उच्चतम प्रस्ताव नाइस सोसाइटी के प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा 3.5 करोड़ रुपये का था और इन परिस्थितियों में प्रतिवादी नंबर 3 की बोली स्वीकार कर ली गई। इस बीच अपीलकर्ता ने कंपनी न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी और जैसा कि पहले देखा गया अपील को डिवीजन बेंच ने खारिज कर दिया था। इसी आदेश को वर्तमान अपील में चुनौती दी गई है।

6. इस न्यायालय द्वारा 23 फरवरी, 2007 को नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद शपथ पत्र और अन्य शपथ पत्र दायर किए गए। मुकदमे की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, कार्यालय को मामले को अंतिम सुनवाई के लिए किसी गैर विविध दिन पर रखने का निर्देश दिया गया था और इस तरह मामला हमारे सामने रखा गया है।

7. हमने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है।

8. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि कंपनी जज के साथ-साथ उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच अपीलकर्ता के पक्ष में नीलामी बिक्री को रद्द करने में पूरी तरह से गलत थी। यह बिक्री के अनुसरण में

प्रस्तुत किया गया था, सूचनाए निविदाएं आमंत्रित की गईं, बारह व्यक्तियों ने अपनी बोलियां पेश कीं। अपीलकर्ता की बोली सबसे अधिक थी। इसलिए कानून के अनुरूप उक्त बोली स्वीकार कर ली गई और अपीलकर्ता ने कानून द्वारा अपेक्षित 25 प्रतिशत की राशि जमा कर दी। इसने शेष 75 प्रतिशत राशि का भुगतान भी कर दिया। अपीलकर्ता के पक्ष में बिक्री की पुष्टि की गई और कंपनी न्यायाधीश द्वारा आधिकारिक परिसमापक को संपत्ति का कब्जा सौंपने का निर्देश जारी किया गया। अपीलकर्ता हालाँकि आधिकारिक परिसमापक ने गलत इरादे और परोक्ष उद्देश्य से ऐसा करने से इनकार कर दिया।

9. वकील के अनुसार एक बार बोली स्वीकार कर ली गई और बिक्री की पुष्टि हो गई तो धोखाधड़ी भौतिक अनियमितता आदि के आधार पर इसे रद्द नहीं किया जा सकता था। यह आधिकारिक परिसमापक का मामला भी नहीं है वकील ने कहा बिक्री में धोखाधड़ी या भौतिक अनियमितता थी और इसलिए बिक्री को रद्द नहीं किया जा सकता था। यह आग्रह किया गया था कि आधिकारिक परिसमापक द्वारा रखा गया एकमात्र आधार यह था कि उसे किसी अन्य व्यक्ति से 1.55 करोड़ रुपये का उच्च प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। उक्त ऑफर करीब सात माह बाद प्राप्त हुआ, कीमत में अंतर 5.44 प्रतिशत था।

10. वकील के अनुसार न्यायिक नोटिस लिया जा सकता है कि

अचल संपत्ति की कीमत दिन ब दिन बढ़ती है और सात महीने के बाद 5 प्रतिशत की वृद्धि अदालत द्वारा नीलामी बिक्री को रद्द करने को उचित नहीं ठहरा सकती है जो कानून के अनुरूप आयोजित की गई थी। इसलिए अकेले उस आधार पर दोनों आदेश निर्धारित किए जाने योग्य हैं अपीलकर्ता को संपत्ति का कब्ज़ा सौंपने का आदेश देकर।

11. यह भी प्रस्तुत किया गया कि आधिकारिक परिसमापक की ओर से दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई स्पष्ट थी और रिकॉर्ड और कार्यवाही से यह स्पष्ट रूप से स्थापित हो गया था। 6 मई 2005 को अपीलकर्ता के अधिकारी कब्जा स्वीकार करने के लिए साइट पर मौजूद रहे लेकिन आधिकारिक परिसमापक नहीं आये। एक पत्र जिसके बारे में कहा जाता है कि 5 मई 2005 को लिखा गया था, अपीलकर्ता को देर से प्राप्त हुआ, जिसमें आधिकारिक परिसमापक द्वारा दिया गया एकमात्र आधार यह था कि उसे रुपये की उच्च बोली प्राप्त हुई थी। 1.55 करोड़ और कंपनी न्यायाधीश ने स्थगन आदेश जारी किया था। कंपनी न्यायाधीश द्वारा पारित तथाकथित आदेश भी था जो पत्र के साथ नहीं भेजा गया।

12. यह आरोप लगाया गया कि आधिकारिक परिसमापक ने कब्ज़ा नहीं सौंपा क्योंकि अपीलकर्ता ने उसकी मांगों को मानकर उसे उपकृत नहीं किया। यह दावा किया गया था कि उक्त आधिकारिक परिसमापक के खिलाफए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए

कार्यवाही शुरू की थी और उस सिलसिले में उसे गिरफ्तार भी किया गया था।

13. प्रतिवादी नंबर 3-सोसायटी की 3.5 करोड़ रुपये की बोली के संबंध में यह प्रस्तुत किया गया कि यह अच्छी तरह से तय है कि नीलामी बिक्री को इस आधार पर अलग नहीं रखा जा सकता है कि बिक्री की पुष्टि के बाद अन्य बोलीदाताओं से उच्च प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। यदि इसकी अनुमति दी जाती है और बिक्री को अलग रखा जाता है तो इसका कोई अंत नहीं है। अवैधताओं या भौतिक अनियमितताओं के अभाव में अदालती बिक्री की विश्वसनीयता पर संदेह नहीं किया जा सकता है और न ही ऐसी बिक्री को खारिज किया जा सकता है। अगर कीमत को ही ध्यान में रखा जाए तो आज संपत्ति की कीमत 5.5 करोड़ रुपये है। उस मामले में प्रतिवादी नंबर 3 के पक्ष में बिक्री को भी रद्द किया जाना चाहिए और नए सिरे से नीलामी का आदेश दिया जाना चाहिए।

14. यह कहा गया था कि अपीलकर्ता एक वास्तविक क्रेता था। आधिकारिक परिसमापक या किसी अन्य बोलीदाता का यह आरोप भी नहीं था कि अपीलकर्ता की 1.47 करोड़ रुपये की उच्चतम बोली किसी भी तरह से अनुचित अपर्याप्त या अपर्याप्त थी। इसलिए अपीलकर्ता को उन फलों से वंचित नहीं किया जा सकता जिनका वह अन्यथा हकदार था। इन सभी आधारों पर यह प्रस्तुत किया गया कि निचली अदालतों द्वारा पारित आदेश

रद्द किये जाने योग्य है।

15. आधिकारिक परिसमापक की ओर से एक शपथ पत्र दायर किया जाता है। हालाँकि यह कहा जा सकता है कि वर्तमान पदाधिकारी उस व्यक्ति से भिन्न है जो प्रासंगिक समय पर कार्यालय में था। अभिसाक्षी ने अपीलकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों से इनकार किया लेकिन कहा गया कि तत्कालीन आधिकारिक परिसमापक द्वारा प्राप्त उच्च प्रस्ताव और कंपनी न्यायाधीश द्वारा दिए गए स्थगन के मद्देनजर अपीलकर्ता को कब्ज़ा नहीं सौंपा गया था और कहा गया था। कार्रवाई को अवैध या कानून के विपरीत नहीं कहा जा सकता। यह कहा गया कि कंपनी न्यायाधीश के आदेश के अनुसार नई निविदाएं आमंत्रित की गईं और उक्त प्रक्रिया में प्रतिवादी नंबर 3 सोसायटी ने 3.5 करोड़ रुपये की पेशकश की जिसे स्वीकार कर लिया गया और किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

16. प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा एक जवाबी हलफनामा भी दायर किया गया है जिसमें कहा गया है कि अपीलकर्ता ने अदालत से संपर्क नहीं किया था, सच्चे और पूर्ण तथ्यण् बिक्री नोटिस जो 19 अक्टूबर 2004 को जारी किया गया था, अधूरा और अमान्य था, इसमें चल और अचल संपत्तियों का मूल्यांकन नहीं बताया गया। रिजर्व प्राइस भी तय नहीं किया गया, संयंत्र और मशीनरी की कोई सूची नहीं बनाई गई थी। चल संपत्तियों का पूरा विवरण नहीं था, आवश्यक सामग्री न तो साइट पर और न ही आधिकारिक

परिसमापक के कार्यालय में उपलब्ध कराई गई थी। उन अनियमितताओं को देखते हुए संपत्ति का उचित मूल्य नहीं मिल सका। जब उपरोक्त सभी दोषों को कंपनी न्यायाधीश के ध्यान में लाया गया तो कंपनी न्यायाधीश संतुष्ट थे कि की गई प्रक्रिया उचित नहीं थी और इसलिए नई बोलियां आमंत्रित की गईं।

17. यह भी प्रस्तुत किया गया कि न्यायालय द्वारा किसी भी समय अपीलकर्ता के पक्ष में पुष्टि का कोई औपचारिक आदेश नहीं दिया गया था। लेकिन भले ही तर्क के लिए यह मान लिया जाए कि अपीलकर्ता को कब्ज़ा सौंपने के लिए आधिकारिक परिसमापक को निर्देश जारी करने वाले कंपनी न्यायाधीश के आदेश को पुष्टि का आदेश कहा जा सकता है, इससे कंपनी की शक्ति नहीं छीन जाएगी यदि बिक्री कानून के अनुसार नहीं की गई तो कंपनी न्यायाधीश नए सिरे से निविदाएं आमंत्रित करेंगे। इसके अलावाए यदि 24 मार्च 2005 को अदालत द्वारा नीलामी बिक्री की पुष्टि की गई थी, तो अपीलकर्ता पुष्टि के 15 वें दिन से पहले शेष 75 प्रतिशत राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य था। माना जाता है कि अपीलकर्ता शेष राशि का भुगतान करने में विफल रहा। निर्धारित अवधि के भीतर इसलिए वह ऐसी नीलामी बिक्री के आधार पर किसी लाभ का दावा नहीं कर सकता।

18. वकील ने आग्रह किया कि अन्यथा भी इस न्यायालय ने कई मामलों में माना है कि न्यायालय के पास पुष्टि की गई बिक्री को भी रद्द

करने की शक्ति है यदि वह संतुष्ट है कि संपत्ति की कीमत अधिक होगी। ऐसे मामलों में न्यायालय का दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करना है कि संपत्ति को अधिकतम कीमत मिलनी चाहिए। इससे कंपनी को अपने लेनदारों योगदानकर्ताओं और श्रमिकों के प्रति बकाया और देनदारियों को चुकाने में लाभ होगा। अंतिम विश्लेषण में प्रतिवादी नंबर 3 के पक्ष में 3.5 करोड़ रुपये की नीलामी बिक्री जो अपीलकर्ता की 1.47 करोड़ रुपये की बोली से काफी अधिक थी में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

19. आगे यह कहा गया कि जब प्रतिवादी नंबर 3 ने 3.5 करोड़ रुपये की पेशकश की तो न्यायालय ने निष्पक्षता से अपीलकर्ता को अवसर दिया यदि वह कार्यवाही में भाग लेना चाहता था और उच्च कीमत की पेशकश करना चाहता था। हालाँकि अपीलकर्ता ने भाग लेने से इनकार कर दिया और पहले की पेशकश से अधिक भुगतान करने से भी इनकार कर दिया। इसलिए अपीलकर्ता के लिए शिकायत करना और 1.47 करोड़ रुपये की संपत्ति पर मालिकाना हक और कब्जा पाने के लिए जोर देना संभव नहीं है।

20. यह कहा गया कि प्रतिवादी संख्या 3 ने पूरी राशि का भुगतान कर दिया है बिक्री पत्र अपने पक्ष में निष्पादित कर लिया है और पर्याप्त खर्च किया है, उसके बाद की राशि और उस आधार पर भी न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विवेकाधीन और न्यायसंगत क्षेत्राधिकार

का प्रयोग नहीं कर सकता है।

21. हमारी राय में हाईकोर्ट द्वारा पारीत आदेश के विरुद्व अपीलांट के पक्ष में कोई मामला बनना नहीं पाया जाता है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश ऊपर बताए गए तथ्यों से यह स्पष्ट है कि नवंबर 2004 में अपीलकर्ता की बोली उच्चतम थी और आधिकारिक परिसमापक द्वारा स्वीकार कर ली गई थी। लेकिन यह भी स्पष्ट है कि कुछ तथ्य जो इच्छुक खरीददारों के ध्यान में लाए जाने आवश्यक थे वे इसमें निर्धारित नहीं किए गए थे। बिक्री की घोषणा और बिक्री सूचना के समय इसका खुलासा नहीं किया गया। वे चल और अचल संपत्ति के मूल्यांकन से संबंधित हैं। अर्टीज़ आरक्षित मूल्य का निर्धारण संयंत्र और मशीनरी की गैर सूची आदि। अन्य बोलीदाताओं द्वारा कंपनी आवेदन दाखिल करके कंपनी न्यायाधीश का ध्यान आकर्षित किया गया था। कंपनी न्यायाधीश ने आपत्तियों पर विचार किया और प्रथम दृष्टया संतुष्ट होने पर नये सिरे से नीलामी का आदेश दिया। हमें उक्त दृष्टिकोण में कोई अवैधता नहीं मिली। जब नई बोलियाँ प्राप्त हुईं तो यह पाया गया कि उच्चतम प्रस्ताव प्रतिवादी संख्या 3 सोसाइटी का था जो रुपये का था। 3.5 करोड़ कंपनी न्यायाधीश ने एक अवसर बढ़ाया। अपीलकर्ता को अपनी बोली बढ़ाने के लिए। हालाँकिए ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता इस आधार पर 1.47 करोड़ रुपये में संपत्ति प्राप्त करने पर अड़ा था कि उक्त प्रस्ताव उच्चतम था और उसके बाद आधिकारिक

परिसमापक और कंपनी न्यायाधीश द्वारा की गई सभी कार्यवाही पूरी तरह से अवैध और गैरकानूनी थी। हमारी राय में उत्तरदाता सही हैं कि ऐसे मामलों में का दृष्टिकोण कंपनी जज को उच्चतम मूल्य प्राप्त करना चाहिए ताकि परिसमापन में कंपनी के खिलाफ अधिकतम दावों को पूरा किया जा सके। इसलिए कंपनी जज द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को अवैध नहीं कहा जा सकता।

22. इस स्तर पर यह देखा जा सकता है कि डिवीजन बेंच से पहले भी अपीलकर्ता को अपनी बोली बढ़ाने के लिए ऐसा अवसर दिया गया था, लेकिन अपीलकर्ता ने इसका लाभ नहीं उठाया।

23. डिविजन बेंच ने आक्षेपित आदेश में कहा

> "यहां तक की इस अपील में कार्यवाही के दौरान हमने अपीलकर्ता के विद्वान वकील से विशेष रूप से पूछा था कि क्या अपीलकर्ता परस्पर बोली लगाने के लिए तैयार है जिससे उन्होंने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया।"

24. इस संबंध में हम इस न्यायालय के कुछ निर्णयों का उल्लेख कर सकते हैं जिन पर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है।

25. एमएस नवलखा एंड संस बनाम श्री रामन्या दास एंड अन्य में

1969 (3) एससीसी 337 इस न्यायालय द्वारा यह माना गया कि बिक्री की पुष्टि को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत अच्छी तरह से तय हैं। जहां आयोग द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति के अधीन है न्यायालय की पुष्टि केवल आयोग द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति के पक्ष में संपत्ति का निहित अधिकार प्रदान नहीं किया जाएगा। बोली लगाने वाले का न्यायालय द्वारा पुष्टि की शर्त अपर्याप्त कीमत पर बेची जा रही संपत्ति के खिलाफ सुरक्षा के रूप में काम करती है, चाहे यह बिक्री के संचालन में किसी अनियमितता या धोखाधड़ी का परिणाम हो या नहीं। उचित मूल्यांकन के बारे में स्वयं को संतुष्ट करना न्यायालय का कर्तव्य है। लेकिन एक बार कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्रस्तावित कीमत पर्याप्त है या नहीं, बाद में उच्चतर प्रस्ताव बिक्री या पहले से प्राप्त प्रस्ताव की पुष्टि से इनकार करने के लिए एक वैध आधार बन सकता है।

26. के जय इंडस्ट्रीज (पी) लिमिटेड बनाम एमएलएस असन्यू ड्रम्स (पी) लिमिटेड और अन्य (1974) 2 एससीसी 213, इस न्यायालय ने माना कि यह कर्तव्य है न्यायालय को उच्चतम बोली स्वीकार करनी होगी और न्यायालय मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर बिक्री को स्थगित करने के लिए बाध्य नहीं है। नवलखा का जिक्र करते हुए और उन पर भरोसा करते हुए न्यायालय ने कहा कि सार्वजनिक बिक्री में प्राधिकरण को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए पार्टियों के हितों की रक्षा करनी चाहिए कि अदालत की

बिक्री एक मजबूर बिक्री है और सार्वजनिक नीलामी के प्रतिस्पर्धी तत्व के बावजूद सबसे अच्छी कीमत है अक्सर सामने नहीं आता.

27. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बनाम आधिकारिक परिसमापक कलकत्ता उच्च न्यायालय और अन्य (2000) 5 एससीसी 274 में इस न्यायालय ने पाया कि कंपनी की संपत्ति की नीलामी में बिक्री जिसे बंद करने का आदेश दिया गया है कंपनी न्यायालय कंपनी और उसके लेनदारों के हित के लिए संरक्षक के रूप में कार्य करता है। कीमत की तर्कसंगतता के संबंध में स्वयं को संतुष्ट करना कंपनी न्यायालय का कर्तव्य है, कंपनी के सुरक्षित लेनदारों और अन्य इच्छुक व्यक्तियों को मूल्यांकन रिपोर्ट का खुलासा करके। आगे यह माना गया कि न्यायालय को यह सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक विवेक का प्रयोग करना चाहिए कि संपत्ति की बिक्री से पर्याप्त कीमत मिलनी चाहिए। उचित मूल्य क्या होगा यह तय करने के लिए किसी विशेषज्ञ की मूल्यांकन रिपोर्ट आवश्यक है। कंपनी न्यायाधीश को स्वयं मूल्यांकन रिपोर्ट पर अपना दिमाग लगाना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय ने सहानुभूति के आधार पर नीलामी बिक्री में हस्तक्षेप नहीं किया कार्यकर्ता जो उचित नहीं था। इसलिए नीलामी बिक्री को इस न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था और आधिकारिक परिसमापक को नए मूल्यांकन शुल्क प्राप्त करने और सुरक्षित लेनदारों को ऐसी रिपोर्ट की प्रति प्रस्तुत करने के बाद संपत्ति को फिर से बेचने का

निर्देश दिया गया था।

28. दिव्या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी (पी) लिमिटेड बनाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एवं अन्य (2000) 6 एससीसी 69 में इस न्यायालय ने माना कि पुष्टि की गई बिक्री को भी रद्द किया जा सकता है। उस मामले में एक पार्टी द्वारा उच्चतम बोली को न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया और बिक्री की पुष्टि की गई, लेकिन नीलामी क्रेता को कब्ज़ा देने और बिक्री विलेख के निष्पादन से पहले अन्य पार्टियों ने बहुत अधिक कीमत की पेशकश की। उच्च न्यायालय ने बाद के बोलीदाताओं को 25% की राशि जमा करने के लिए कहा जो किया गया। तथ्यों को समग्रता से ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय ने पुष्टि को रद्द कर दिया, पिछली उच्चतम बोली की उक्त कार्रवाई को इस न्यायालय में चुनौती दी गई थी।

29. इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उचित मामले में पक्की बिक्री को भी रद्द किया जा सकता है। इस संबंध में न्यायालय ने एलआईसीए (पी) लिमिटेड (1) बनाम आधिकारिक परिसमापक (1996) 85 कॉम्प कैस 788 (एससी) और एलआईसीए (पी) लिमिटेड (2) बनाम आधिकारिक परिसमापक (1996) 85 कॉम्प कैस 792 (एससी) में पहले के दो निर्णयों पर भरोसा किया।

30. अपीलकर्ता के विद्वान वकील का यह कथन निस्संदेह सही है कि दिव्या में एक विशिष्ट शर्त थी (खंड) (11) जिसने न्यायालय को "लेनदारों

योगदानकर्ताओं और सभी संबंधित और/या सार्वजनिक हितों के हित में" पुष्टि की गई बिक्री को रद्द करने का अधिकार दिया।

31. लेकिन कोर्ट ने मामले को सैद्धांतिक आधार पर रखा और कहा

> "यह देखना न्यायालय का कर्तव्य है कि नीलामी में प्राप्त कीमत पर्याप्त कीमत है भले ही कोई अनियमितता या धोखाधड़ी का सुझाव न हो"।

32. यह निरीक्षण करने के लिये आगे बढ़ा;

> "न्यायालय द्वारा बेहद अपर्याप्त कीमत पर बिक्री की पुष्टि चाहे यह किसी अनियमितता का परिणाम हो या नहीं या बिक्री के संचालन में धोखाधड़ी को अलग रखा जा सकता है आधार यह था कि यह न्यायिक विवेक का उचित और उचित प्रयोग नहीं था। ऐसे मामलों में न्यायालय द्वारा एक सार्थक हस्तक्षेप कुछ हद तक न्यायालय के माध्यम से नीलामी के समय कम बोली लगाने को रोक सकता है।"

33. गजराज जैन बनाम बिहार राज्य एवं अन्य (2004) 7 एससीसी 151 में इस न्यायालय ने दोहराया कि मूल्यांकन रिपोर्ट और आरक्षित मूल्य के अभाव में नीलामी बिक्री केवल एक दिखावा बन जाती है। यदि कोई

उचित तंत्र नहीं है और यदि इच्छुक खरीदार संपत्ति या व्यक्तिगत मूल्यांकन का विवरण जानने में सक्षम नहीं हैं तो नीलामी बिक्री को कानून के अनुसार नहीं कहा जा सकता है। यदि प्रचार और अधिकतम भागीदारी प्राप्त करनी है तो सभी बोलीदाताओं को संपत्ति का विवरण और उसके मूल्यांकन का पता होना चाहिए।

34. वर्तमान मामले में यह आरोप लगाया गया कि पहली नीलामी में कई अनियमितताएँ थीं। निविदा सूचना में चल और अचल संपत्ति का मूल्यांकन नहीं बताया गया आरक्षित मूल्य तय नहीं किया गया था संयंत्र और मशीनरी की सूची उपलब्ध नहीं कराई गई थी आदि। यदि इन तथ्यों पर विचार करने पर कंपनी न्यायाधीश ने नई नीलामी का आदेश दिया तो हमारी सुविचारित राय में ऐसी कार्रवाई के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की जा सकती।

35. हमारी राय में प्रतिवादी संख्या 3 के विद्वान वकील का प्रस्ताव अच्छी तरह से स्थापित है कि जब इसकी उच्चतम बोली रु. 3.5 करोड़ स्वीकार की गई तो अपीलकर्ता को अवसर प्रदान किया गया। हालाँकि इसने ऐसे अवसर का लाभ नहीं उठाया। बाद की घटनाओं के संदर्भ में वकील भी सही है कि नई नीलामी के बाद बिक्री विलेख निष्पादित किया गया था प्रतिवादी नंबर 3 को कब्ज़ा सौंप दिया गया था इसमें खर्च भी हुआ था। यदि इस स्तर पर बिक्री को रद्द कर दिया जाता है तो प्रतिवादी

संख्या 3-सोसायटी पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

36. साथ ही तथ्यों से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता की बोली नवंबर 2004 में स्वीकार कर ली गई थी। उसने तुरंत 25% राशि जमा कर दी थी। अपीलकर्ता भी शेष राशि 75% 12/13 अप्रैल 2005 को जमा की गई। इसलिए यह उचित होगा यदि हम प्रतिवादी संख्या 3 को निर्देशित करें अपीलकर्ता को 30 लाख रुपये की राशि का भुगतान करने के लिए जो हमारी राय में न्याय के उद्देश्य को पूरा करेगा। 30 लाख रुपये का भुगतान खरीदार को उसकी परेशानी और उस चीज़ के नुकसान की निराशा के लिए सांत्वना के रूप में काम करेगा जो शायद एक अच्छी चीज़ है। चुंदी चरण बनाम बांके बिहारी (1899) आईएलआर देखें 26 कैल 449 (एफबी)]।

37. हम स्पष्ट कर सकते हैं कि अपीलकर्ता द्वारा तत्कालीन आधिकारिक परिसमापक के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं। यह भी कहा गया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आधिकारिक परिसमापक के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए आपराधिक कार्यवाही शुरू की है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। हम वर्तमान अपील का निपटारा हमारी राय के अनुसार पारित आदेश के अनुसार कर रहे हैं, कंपनी जूड द्वारा और डिवीजन बेंच द्वारा पुष्टि की गई उच्च न्यायालय कानून के अनुरूप हैं। लेकिन हम नहीं हो सकते समझा जाता है कि अपीलकर्ता द्वारा आधिकारिक परिसमापक के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर कोई राय व्यक्त

की गई है। जब भी मामला उचित न्यायालय/प्राधिकरण के समक्ष विचार के लिए आएगा तो हमारे द्वारा इस अपील के निपटान की परवाह किए बिना इसका निर्णय अपने गुण-दोष के आधार पर किया जाएगा।

38. उपरोक्त कारण से ऊपर बताई गई सीमा तक अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर अनुमति दी जाती है।

अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सुश्री ज्योति शर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।